हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।

23.12.2021

तहसीलदार सोजत द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुये। विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक/राजस्व/2021/ 4658 दिनांक 14.12.2021 के जरिये प्रस्तुत किया है, सा0मि0 हो। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। तथा माफिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की। प्रतिवादी संख्या 03, 05, 07, 11/3 बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तहसीलदार सोजत जबाव दावा पेश नही करना चाहने से जबाब दावा पेश नही करना चाहने से जबाव दावा का अवसर समाप्त कर जबाब बन्द किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षित विवरण इस प्रकार है कि अधिवक्ता मय वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम केलवाद पटवार मण्डल केलवाद तहसील सोजत में वर्तमान खसरा नम्बर 147, 148, 150, 151, 189, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 202 कुल किता 12 जिसका कुल रकवा 10.5400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 तथा 11/1 से 11/3 की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई स्थित है। उपरोक्त वादस्थ भूमि में वादी का 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 व 02 का सयुक्त रूप से 1/12, प्रवितादी संख्या 03 का 1/12, प्रतिवादीसंख्या 04 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 05 का 1/6, प्रतिवादीसंख्या 06 से 09 का सयुक्त रूप से 1/8, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा खातेदारी का बनता है। वादी के प्रिंसीपल विक्रेता एवं प्रतिवादीगण के बीच वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर अलग अलग हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। खातेदारों के मध्य आपूस में मौखिक बंटवाडा किया हुआ है किन्तु विधिक बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही किया हुआ जिससे विधिक बंटवाडा नही होने से सह खातेदार के मध्य मनमुटाव एवं सीमाओं एवं काश्त को लेकर विवाद होने की संभावना रहती है। वादी द्वारा माफिक कब्जा अनुसार बंटवाडा हेतु कहने पर प्रतिवादी गण ने एक साथ तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर बंटवाडा करने से साफ इंकार कर दिया जिससे वादी वादस्थ भूमि में अपने हक हिस्से को बंटवाडा करवा कर राजस्व रेकर्ड में पृथक से खाता कायम करवाना चाहता है। दिनांक 15.05.2021 को प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर आपसी सहमति से तहसील सोजत चलकर विधिक बंटवाडा करने से साफ इनकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम केलवाद में उत्पन्न हुआ जो अन्दर म्याद पेश है। इस प्रकार वाद प्रस्तुत कर वादस्थ भूमि में अपने हिस्से का कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से विधिक बंटवाडा करवाने की ईश्तदुआ की है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11/1 व 11/2 दौराने अभियाना प्रशासन गावों के संग शिविर ग्राम पंचायत केलवाद में उपस्थित होकर प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 03, 05, 07, 11/3 बावजूद तामिल / सूचना अनुपस्थित रहे है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला पाली) राज.

संख्या 03, 05, 07, 11/3 बावजूद तामिल / सूचना अनुपस्थित रहे है। अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11/1 व 11/2 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया। प्रकरण विभाजन का होने से व वादी एवं प्रतिवादीसंख्या 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11/1 व 11/2 द्वारा स्वीकारोक्ति दिये जाने के आधार पर बाद विवेचन / विश्लेषण दिनांक 22.11.2021 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की जाकर सरहद मौजा ग्राम केलवाद के खसरा नम्बर 147, 148, 150, 151, 189, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 202 कुल किता 12 जिसका कुल रकबा 10.5400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कर पृथक पृथक खाता व लगान कायम कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सोजत ने विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहीत प्रस्तुत किया, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार सोजत सूनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर सहमति व्यक्त करते हुये माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की। जबाब बहस में प्रतिवादीगण व तहसीलदार सोजत ने माफिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथपत्र फहरिस्त मय दस्तावेज, तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः विभाजन प्रस्ताव आर0टी0एक्ट0 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया गया है। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा अधिवक्ता वादीया की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एव मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग-अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा केलवाद पटवार हल्का केलवाद भू0अ0निरी0 गुडाकंला तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10, 11/1 से 11/3 की खसरा नम्बर 147, 148, 150, 151, 189, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 202 कुल किता 12 जिसका कुल रकबा 10.5400 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि के दर्ज खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एव लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	फरजाना पत्नि रमजान खांन कौम तैली मुसलमान साकिन देह खातेदार	194,	0.16	बा0दो0	0.64
		197,	0.34	बा0दो0	1.36
		198	0.52	बा0दो0	2.08
		199	0.52	बा0दो0	2.08
		200	0.70	बा0दो0	2.80
		202	0.40	बा0दो0	1.60
		06	2.64		10.56
2.	अजयपालसिंह पुत्र उदयसिंह 1/27 अंतरकंवर पत्नी उदयसिह 1/27 रहन हि. 1/27 एसबीबीजे बगडी प्रहलादसिंह पुत्र पूर्णसिह हिस्सा 2/27 रहन हि. 1/18 आरएमजीबी सोजत रोड लक्ष्मणसिंह पुत्र पूर्णसिह 2/27 पदमकंवर पुत्री पूर्णसिह1/54 गोपालसिंह पुत्र उदयसिह1/27 छैलकंवर पत्नी सजनसिंह 1/24 नाहरसिंह पुत्र दातारसिह 2/9 प्रेमसिह पुत्र मंगलसिंह 1/9 भगवानसिह पुत्र सजनसिह 1/24 रूपसिहं दतम पुत्र जोरसिंह 1/24 सुरेन्द्रसिंह पुत्र सजनसिंह 1/24 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	147	0.15	गे.मु तेड	
		148	5.80	बा.आ.	
		150	0.03	गे.मु.तेड	29.00
		151	0.03	गे.मु.तेड	
		189	0.67	बा.दो.	2.68
		193	0.34	बा0दो0	1.36
		194/1	0.88	बा0दो0	3.52
		7	7.90		36.52

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला पाली) राज.

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीया — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीया

फरजाना पत्नि रमजान खां जाति तेली मुसलमान नि0 केलवाद तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अजयपालसिंह पुत्र उदयसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र उदयसिंह
3. प्रेमसिंह पुत्र मंगलसिंह
4. नाहरसिंह पुत्र दातारसिंह
5. रूपसिंह पुत्र जोरसिंह जातियान राजपूत नि0 ग्राम केलवाद तह0 सोजत जिला पाली।
6. छेलकंवर पत्नि सज्जनसिंह
7. भगवानसिंह पुत्र सज्जनसिंह
8. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह
9. श्रवणसिंह पुत्र सज्जनसिंह
10. लक्ष्मणसिंह पुत्र पूर्णसिंह
11. मृ0 प्रहलादसिंह पुत्र पूर्णसिंह के वारिसान

11/1 अजयपालसिंह पुत्र प्रहलादसिंह

11/2 सरोज कंवर पत्नि प्रहलादसिंह

11/3 खुशवीरसिंह पुत्र प्रहलादसिंह नाबालिग जरिए कुदरती वली माता सरोजकंवर पत्नि प्रहलादसिंह जातियान राजपूत नि0 केलवाद तह0 सोजत जिला पाली।

12 सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 188 आर0टी0एक्ट0 1955

राजस्व वाद संख्या :– 80/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादीया श्री महेन्द्र चौधरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा केलवाद पटवार हल्का केलवाद तह0 सोजत में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 व 11/1 से 11/3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि के खसरा नंबर 147, 148, 150, 151, 189, 193, 194, 197, 198, 199, 200, 202 कुल खसरा 12 कुल रकबा 10.5400 हैक्टर किस्म बा0दो0 गै0मु0 तेड़ की भूमि का विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा मय नजरी नक्शा के आधार पर खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा है0	किस्म	लगान रू0
1.	फरजाना पत्नि रमजान खान कौम तैली	194	0.16	बा0दो0	0.64

उप खण्ड अधिकारी

	मुसलमान साकिन देह खातेदार	197	0.34	बा0दो0	1.36
		198	0.52	बा0दो0	2.08
		199	0.52	बा0दो0	2.08
		200	0.70	बा0दो0	2.80
		202	0.40	बा0दो0	1.60
	योगः–	06	2.64		10.56
2.	अजयपालसिंह पुत्र उदयसिंह 1/27, अंतर कंवर पत्नि उदयसिंह 1/27, रहन हि0 1/27, एसबीबीजे बगड़ी प्रहलादसिंह पुत्र पूर्णसिंह हिस्सा 2/27, रहन हि0 1/18, आरएमजीबी सोजतरोड़, लक्ष्मणसिंह पुत्र पूर्णसिंह 2/27, पदमकंवर पुत्री पूर्णसिंह 1/54, गोपालसिंह पुत्र उदयसिंह 1/27, छैलकंवर पत्नि सज्जनसिंह 1/24, नाहरसिंह पुत्र दातारसिंह 2/9, प्रेमसिंह पुत्र मंगलसिंह 1/9, भगवानसिंह पुत्र सजनसिंह 1/24, रूपसिंह दत्तक पुत्र जोरसिंह 1/24, सुरेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह 1/24 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार,	147	0.15	गै0मु0 तेड़	
		148	5.80	बा0अ0	29.00
		150	0.03	गै0मु0 तेड़	
		151	0.03	गै0मु0 तेड़	
		189	0.67	बा0दो0	2.68
		193	0.34	बा0दो0	1.36
		194/1	0.88	बा0दो0	3.52
	कुल योग	7	7.90		36.52

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन हाजा न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिकी पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.12.2021 को जारी की गई।

(गोपाल परिगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.